

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1999)

**THE UTTAR PRADESH DISTRICT PLANNING
COMMITTEE ACT, 1999**

(U.P. Act No. 32 of 1999)

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1999]

उ० प्र० अधिनियम संख्या 48, 2007

उ० प्र० अधिनियम संख्या 24, 2024

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 29 जुलाई, 1999 को अनुमति प्रदान की एवं उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में दिनांक 29 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हुआ।]

जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का समेकन करने और सम्पूर्ण जिले के लिये विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए जिला स्तर पर, जिला योजना समिति का गठन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणतंत्र के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 कहा जायगा। **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

(2) यह 19 मई, 1999 से प्रवृत्त समझा जाएगा।

2—इस अधिनियम में :— **परिभाषाएँ**

(क) "विधान सभा की निर्वाचक नामावली" का तात्पर्य राज्य विधान सभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र की ऐसी निर्वाचक नामावली से है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबन्धों के अनुसार और उसके अधीन तैयार की गई हो।

(ख) "समिति" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित जिला योजना समिति से है ;

(ग) "जिला स्तर के अधिकारी" का तात्पर्य जिले के ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(घ) "क्षेत्र पंचायत" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अधीन स्थापित क्षेत्र पंचायत से है ;

(ङ) "मंत्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री-परिषद् के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत राज्य मंत्री और उप मंत्री भी सम्मिलित हैं ;

(च) "नगर पालिका" का तात्पर्य, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन गठित किसी नगर निगम, किसी नगर पालिका परिषद् का किसी नगर पंचायत से है।

(छ) "जनसंख्या" का तात्पर्य ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अधिनिश्चित की गयी जनसंख्या से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गये हों ;

(ज) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य नगरीय क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र से है ;

1. उद्देश्य और कारण के लिये इस अधिनियम के अंत में देखें।

(झ) "नगरीय क्षेत्र" का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर निगम, नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है ;

(ञ) "जिला पंचायत" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित किसी जिला पंचायत से है ।

3—(1) प्रत्येक जिले में, एक जिला योजना समिति का, जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का समेकन करने और सम्पूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये, गठन किया जायगा ।

जिला योजना
समिति का गठन

(2) समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करने में, —

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी :—

(एक) पंचायतों और नगरपालिकाओं के सामान्य हित के विषय, जिसके अन्तर्गत स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है ;

(दो) उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार ;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

4—(1) प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या उतनी होगी जितनी विहित की जाय ;

जिला योजना
समिति की संरचना

प्रतिबन्ध यह है कि सदस्यों की संख्या [चालीस से अधिक नहीं होगी]¹ ।

(2) समिति के सदस्यों की कुल संख्या के चार बटा पांच सदस्य जिला पंचायत और जिले में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विहित रीति से निर्वाचित किये जायेंगे ।

(3) जहां जिले के नगरीय क्षेत्र में एक से अधिक नगरपालिका समाविष्ट हों, वहां ऐसी नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से समिति के सदस्यों की संख्या को ऐसी नगरपालिकाओं में , ऐसी रीति से, जैसी विहित की जायें, वितरित किया जायगा ।

(4) समिति के शेष एक बटा पांच सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट, एक मन्त्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ख) अध्यक्ष, जिला पंचायत ।

(ग) [x x x]²

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 48, 2007 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 48, 2007 की धारा 2(ख) द्वारा निकाला गया ।

(घ) जिला मजिस्ट्रेट—पदेन ;

(ङ) ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस उपधारा के अधीन सदस्यों की संख्या ; समिति के कुल सदस्यों के एक बटा पांच भाग से अधिक न होगी ; राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट किया जाय ।

(5) उपधारा (4) के खण्ड (ङ) के अधीन नाम—निर्दिष्ट सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा ।

(6) समिति का कोई सदस्य, समिति को किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम—निर्दिष्ट नहीं करेगा ।

(7) यदि समिति का कोई निर्वाचित सदस्य यथास्थित नगरपालिका या जिला पंचायत का सदस्य, नही रह जाता है, तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

(8) यदि समिति के किसी निर्वाचित सदस्य का पद उसकी मृत्यु, त्याग—पत्र या अन्य कारण से रिक्त होता है तो रिक्त की उपधारा (2) के अधीन उपबंधित रीति से उसके शेष पदावधि के लिये भरा जायगा ।

5—समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्त के विद्यमान होने या समिति के गठन में त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी ।

रिक्तियां इत्यादि समिति की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेगी

6—(1) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं ; जो पूर्णतः या भागतः जिले में समाविष्ट है, समिति की बैठकों के लिये स्थायी आमंत्रित होंगे ।

समिति के स्थायी आमंत्रित

(2) राज्य की विधान परिषद् के सदस्य जो ऐसे स्नातक या शिक्षक या स्थानीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्णतः या भागतः जिले में समाविष्ट है, समिति की बैठकों के लिये स्थायी आमंत्रित होंगे ।

(3) राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित या राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट राज्य की विधान परिषद् के सदस्य भी अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिये स्थायी आमंत्रित होंगे ।

1[(4) राज्य सभा के सदस्य भी जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिये स्थायी आमंत्रित होंगे । इसके अतिरिक्त किसी जिले की दो ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान भी एक वर्ष के लिए जिला योजना समिति की बैठक में स्थायी आमंत्रित होंगे । ग्राम प्रधान का चयन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा:—

(क) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा चयनित दो ग्राम प्रधान नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जिला की जिला योजना समिति की बैठकों हेतु चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिये स्थायी आमंत्रित होंगे ।

(ख) ग्राम प्रधानों के चयन हेतु चक्रानुक्रम निम्नानुसार चलेगा :—

1. [उ० प्र० अधिनियम संख्या 24, 2024 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।](#)

(एक) जिला मजिस्ट्रेट, प्रत्येक वर्ष हिन्दी वर्णमाला क्रम के आधार पर दो विकास खण्डों का चयन करेगा तथा सर्वाधिक जनसंख्या वाली दो ग्राम पंचायतें चयनित की जायेंगी। प्रत्येक दो विकास खण्डों से इस प्रकार चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान एक वर्ष के लिये चयनित/नामनिर्दिष्ट होंगे। उनके नाम निर्देशन से एक वर्ष की समाप्ति पर पूर्व चयनित खण्डों के स्थान पर हिन्दी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले दो विकास खण्डों का चयन किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट चक्रानुक्रम के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए इन खण्डों में सर्वाधिक जनसंख्या वाली दो ग्राम पंचायतों का चयन/नामनिर्देशन करेगा।

(दो) पूर्वोक्त प्रक्रिया का पालन आगामी वर्षों में ऐसे समय तक किया जाता रहेगा जब तक कि समस्त विकास खण्डों का हिन्दी वर्णमाला क्रम के अनुसार चयन नहीं हो जाता और एक पूरा चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। इसके पश्चात् पूर्वोक्त को पुनः दोहराया जाएगा और अगले चयनित दो विकास खण्डों में से प्रत्येक से एक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान चयनित/नामनिर्दिष्ट होंगे।

(तीन) यदि किसी भी कारण से विकास खण्डों की जनसंख्या में या उनकी सीमाओं के अंकन के कारण परिवर्तन होता है, तब भी पूर्व चयनित विकास खण्डों/ग्राम पंचायतों को दोहराया नहीं जाएगा (जब तक कि चक्रानुक्रम पूरा न हो जाए)।¹

(5) कोई भी स्थायी आमंत्रित, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम-निर्दिष्ट नहीं करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित से, जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्रि-परिषद् का सदस्य न हो, दो या अधिक जिलों में एक ही दिन ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो, वहां वह उस जिले को, जिसमें वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं है, समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिये अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम-निर्दिष्ट कर सकेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित में, जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्रि-परिषद् का सदस्य हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो और वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में न हों, वहीं वह समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिये अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम-निर्दिष्ट कर सकेगा ।

7-(1) जिले का मुख्य विकास अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा और वह समिति के अभिलेखों का अनुरक्षण करने, समिति की बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करने और विनिश्चयों और अन्य आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों की संसूचना देने के लिये उत्तरदायी होगा और समिति को ऐसी सहायता उपलब्ध करायेगा जो उसके कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो ।

समिति का सचिव

स्पष्टीकरण :- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद "मुख्य विकास अधिकारी" के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी सम्मिलित हैं।

1. [उ० प्र० अधिनियम संख्या 24, 2024 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।](#)

(2) जिले का अर्थ एवं संख्या अधिकारी समिति का ऐसी रीति से, जैसी समिति द्वारा निर्देशित की जाय, समिति की सहायता करने के लिए पदेन संयुक्त सचिव होगा ।

8—राज्य निर्वाचन आयोग को, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिये निर्वाचक नामावली तैयार कराने का, और उस निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार होगा ।

समिति के सदस्यों का निर्वाचन

9—समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

समिति के कृत्य

(क) राष्ट्रीय और राज्य योजना के उद्देश्यों के ढांचे के भीतर स्थानीय आवश्यकताओं और उद्देश्यों का अभिज्ञान करना ;

(ख) विकेन्द्रीकृत योजना के लिये और जिला और ब्लाक संसाधन की पार्श्विका तैयार करने के लिये आंकड़े का ठोस आधार तैयार करने हेतु जिले की प्राकृतिक और मानव संसाधन से सम्बन्धित सूचना को एकत्र, संकलित और अद्यतन करना ।

(ग) ग्राम, ब्लाक और जिला स्तर पर सुविधाओं को सूचीबद्ध करना और उनका मानचित्रण करना;

(घ) उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधनों के अधिकतम और न्यायसम्मत उपयोग और समुपयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को अवधारित करना ;

(ङ) ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए तैयार की गयी पंचवर्षीय या वार्षिक विकास योजना के प्रारूप को, समग्र योजना के उद्देश्यों और रणनीतियों को दृष्टिगत रखते हुए, उपान्तरित या संशोधित और समेकित करना ;

(च) राज्य सरकार की विकास योजना ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, प्रस्तुत करना ;

(छ) जिला के लिए रोजगार योजना तैयार करना ;

(ज) जिला योजना के वित्त पोषण के लिये वित्तीय संसाधनों का प्राक्कलन तैयार करना ;

(झ) जिला विकास योजना की समग्र रूपरेखा के भीतर सेक्टर और सब-सेक्टर के परिचयों का आवंटन करना ;

(ञ) जिले में विकेन्द्रीकृत योजना की रूपरेखा के अधीन कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सेक्टर और केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों और विधान सभा-निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं भी हैं, के अधीन प्रगति का अनुश्रवण, मूल्यांकन और समीक्षा करना ;

(ट) जिला योजना में सम्मिलित की गई योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार को नियमित प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ;

(ठ) ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का अभिज्ञान करना जिनके लिये संस्थागत वित्त की आवश्यकता हो और योजना के साथ पश्चगामी और अग्रवर्ती संयोजन का समुचित उपाय करना और ऐसे निवेश के अपेक्षित प्रवाह को सुनिश्चित करना ;

(ड) समग्र विकास प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग सुनिश्चित करना ;

(ढ) राज्य सरकार को, ऐसी राज्य क्षेत्रीय योजनाओं के सम्बन्ध में जिनका जिले के विकास की प्रक्रिया से महत्वपूर्ण सम्बन्ध हो, सुझाव और संस्तुतियां देना ;

(ण) विभिन्न कार्यों और योजनाओं के लिए स्थल चयन को अन्तिम रूप देना;

(त) कोई अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायें ।

10—(1) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे, जो यथास्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 और नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में प्रगणित किये गये हों।

जिला योजना का कार्यक्षेत्र

(2) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे मामले भी ला सकेंगे, जिन्हें समिति द्वारा आवश्यक समझा जाय या राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निर्देशित करे।

11—(1) राज्य सरकार, जिला योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का पता लगायेगी और उनका प्राक्कलन करेगी और तदनुसार जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा का विनिश्चय करेगी।

जिला योजना की अधिकतम सीमा

(2) उपधारा (1) के प्रयोग नियत की गई जिला योजना परिव्यय को अधिकतम सीमा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पुनरीक्षित या परिवर्तित की जा सकेगी।

12—समिति, जिले के लिए विकास योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देगी ।

जिला योजना को अंतिम रूप दिया जाना

13—(1) जिला योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन रहते हुये, अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में जिलेवार धन के लिये उपबन्ध कर सकेगी और उसके सम्यक् विनियोग के पश्चात् एक मुश्त धनराशि जिलों को आवंटित करेगी।

जिलों को धन का आवंटन

(2) राज्य सरकार के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अध्यक्षीन रहते हुये, जिला मजिस्ट्रेट को धारा 12 के अधीन अन्तिम रूप से स्वीकृत जिला योजना के लिये वित्तीय मंजूरी देने की शक्ति होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन रहते हुये, समिति, योजनाओं और कार्यक्रमों के परिव्यय को परिवर्तित, पुनरीक्षित या उपान्तरित कर सकेगी और जिला मजिस्ट्रेट धन का पुनः आवंटन विहित रीति से कर सकेगा।

14—यदि समिति के कृत्य, उसकी शक्ति या अधिकारिता के सम्बन्ध में या किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में कोई विवाद या प्रश्न उत्पन्न होता हो, तो विवाद या प्रश्न को राज्य योजना आयोग को निर्दिष्ट किया जायगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

विवाद का समाधान

15—(1) समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार जिला मुख्यालय पर ऐसे दिनांक को और ऐसे समय पर आयोजित की जायेगी जो अध्यक्ष द्वारा नियत किये जायें।

समिति की बैठक

(2) समिति अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिये विशेषज्ञों को, ऐसे निबन्धन और शर्तों, पर जो विहित किये जायें, आमंत्रित कर सकेगी।

(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, समिति का ऐसा सदस्य जिसे बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाय, समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

16—समिति इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिये उप समितियां उपसमितियों का गठन कर सकेगी।

17—राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जिला योजना, समन्वय और अनुश्रवण से सम्बन्धित ऐसे कृत्य जिनसे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलाप आच्छादित होते हों और जो आवश्यक समझे जायें, समिति को समनुदेशित कर सकेगी।

समिति के कृत्य समनुदेशित करने की राज्य सरकार की शक्ति

18—इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

19—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

20—राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी नियम के अध्यधीन रहते हुये, समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगी।

समिति अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगी

21—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो, राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उससे किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23—क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

22—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध समिति के गठन और उसके सदस्यों के निर्वाचन, योजना की संरचना और उससे आनुषंगिक या पारिणामिक अन्य मामलों को सम्मिलित करते हुए सभी मामलों में लागू होंगे।

अध्यारोही प्रभाव

उ0प्र0 अध्यादेश
सं0 9, 1999

23—(1) उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और
अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य में जिला योजना समितियों को कार्यशील किये जाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1999) को संशोधित करके समितियों के गठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या के प्रतिबन्ध को हटाने और जिले के मुख्यालय पर स्थित समिति से पालिका के नगर प्रमुख या अध्यक्ष की सदस्यता को समाप्त करने की व्यवस्था की जाये।

तदनुसार उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।
